# फर्द अहकाम

गजानन्द बनाम रमेशचन्द

अपील विविध / 20

| दिनांक आज्ञा कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 6/23 | पत्रावली पेश हुई। [illegible] बहस प्रा० पत्र धारा-10 पर सुनी गई। ~~साथ~~ उल्लेखित प्रकरणों के पक्षकारान एवं विषयवस्तु भिन्न है। दोनों प्रकरणों का उत्तर में होने वाले निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं है तथा साथ ही L.R. एक्ट की कार्यवाही पर C.P.C. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। फलतः प्रा. पत्र धारा 10 जा. दी. खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही बहस प्रा. पत्र धारा 136 एल.आर. 21/06/23 को पेश हो।<br>[signature]<br>... अधिकारी ... (...) | |
| 21/6/23 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा. पत्र धारा 136 पर सुनी गई। प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोनेर तह. सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी गत ख. नं. | |

Signature No
Digitally signed b
Date: 2023.08.25
Reason: SelfAtte

| क्र.स. | दिनांक आदेश या कार्यवाही | आदेश विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 21/08/23 | 920 से बेन माल रवा नं. 1200/... व 1201 में अप्रार्थीगण सा / ता ... के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम सं. 10 जयपुर महानगर के समक्ष विचाराधीन वाद के निर्णय/ निर्णय का प्रभाव हस्तगत प्रकरण पर लागू होगा तथा हस्तगत प्र.पत्र धारा 136 के निर्णय स्वरूप हुआ राजस्व रिकार्ड के संशोधन माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-10 जयपुर महानगर के निर्णय के अधीन रहेगा। निर्णय सुनाया गया। विहित निर्णय पृथक से संलग्न है। पत्रावली दैनिक शुमार होकर अर्जी नम्बर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो। |

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed
Date: 2023.08.2
Reason: SelfAtte